9.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट हल्दीघाटी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2071-74 ग्राम ढाणी खोखड़ावा के भूमि ख.न. 668, 670, 676, 677, 4933/665 किता 5 कुल रकबा 1.41 हे. की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 व प्रति.नं. 5 व 6 के पिता/पति के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से के अनुसार विधिवत विभाजन करवाना चाहते हैं। धारा 53 के प्रावधान अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम ढाणी खोखड़ावा के भूमि ख.न. 668, 670, 676, 677, 4933/665 किता 5 कुल रकबा 1.41 हे. में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में पेश करें। डिक्री पश्चात जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.5.18 को कैम्प कोर्ट हल्दीघाटी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुर